



कार्यालय प्राचार्य, इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय, सागर (म0प्र0)

(Declared Autonomous by Government of M.P.)

Jabalpur Road, Baheria, Distt.- Sagar, Madhya Pradesh-470004

Email: dr.principalgec@rediffmail.com, Website: www.igecgsagar.ac.in

Website

क्र0 / इम./ छा.वृ./ 2021-22/ 172

सागर, दिनांक :- 28/01/2022

// आवास सहायता योजना (एस.सी./एस.टी) वर्ष 2021-22 संबंधी
आवश्यक सूचना //

000

संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवास सहायता योजना के लाभ लेने हेतु (वर्ष 2021-22) हेतु ऑन लाईन आवेदन करें। एवं हार्ड कॉपी प्रिंट करके निम्नलिखित दस्तावेजों सहित संस्था के छात्रवृत्ति शाखा/नोडल सेंटर में आवश्यक रूप से जमा करावे :-

आवास सहायता फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज निम्न क्रम में संलग्न करे :-

1. आवास सहायता योजना का ऑनलाईन भरा हुआ आवेदन पत्र।
2. आवास मालिक के किराया द्वीपक्षीय घोषणा पत्र (प्रारूप -7) की मूल प्रति अनिवार्य हैं। (रु.50 के स्टाम्प पर)।
3. पिता के नाम से सागर में आवास न होने का शपथ पत्र (प्रारूप -6) की मूल प्रति अनिवार्य हैं। (रु.50 के स्टाम्प पर)
4. डिजिटल आय प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
5. डिजिटल जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति
6. एडमिशन स्लिप की छायाप्रति।
7. सभी सेमेस्टर की अंकसूची की छायाप्रति।
8. बैंक पास बुक की सत्यापित छायाप्रति।
9. विद्यार्थी का आधार कार्ड की छाया प्रति।
10. मकान किराया की रसीद (मकान मालिक का मोबाईल नं. एवं स्पष्ट लिखा हुआ पता मय हस्ताक्षर)
11. मकान के सामने स्वयं का मकान मालिक के साथ खीचा गया नवीन फोटोग्राफ साफ्ट एवं हार्डकापी में।
12. मकान मालिक द्वारा हस्ताक्षरित मकान मालिक का आधार कार्ड, बिजली का बिल, समग्र आई डी एवं फोटो पहचान पत्र की छायाप्रति।
13. एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों को छात्रावास विहीन प्रमाण पत्र (प्रारूप -1) की मूल प्रति अनिवार्य हैं।
14. एस.सी./एस.टी. विद्यार्थियों के लिए, छात्रावास संबंधी घोषणा प्रमाण पत्र (प्रारूप -2) की मूल प्रति अनिवार्य हैं।
15. छात्र/छात्रा का कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण पत्र (प्रारूप -4) की छायाप्रति अनिवार्य हैं।
(छात्रवृत्ति संबंधी समस्त आवश्यक प्रारूप/प्रपत्र www.igecgsagar.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं।)

Hon'ble

प्राचार्य,

इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर म0प्र0

छात्रावास अधीक्षक, इंदिरा गाँधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

क्रमांक :-

सागर दिनांक :-.....

// छात्रावास विहीन प्रमाण-पत्र //
(Non Hosteller Certificate)

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा पिता
का नाम श्री प्रवेश सत्र..... ब्रांच/कक्षा इंदिरा गांधी
इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर (म.प्र.) का छात्र है। छात्र/छात्रा को संस्था की तरफ से छात्रावास की
सुविधा, स्थान रिक्त न होने के कारण अनुपलब्ध है।

छात्रावास अधीक्षक
इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

क्रमांक :-

सागर दिनांक :-

// छात्रावास संबंधी घोषणा पत्र //

मैं (छात्र/छात्रा का नाम)

पिता का नाम श्री प्रवेश सत्र..... ब्रांच/कक्षा इंदिरा

गांधी इंजीनियरिंग महाविद्यालय सागर (म.प्र.) का छात्र/छात्रा हूँ। छात्र/छात्रा शासकीय/प्राइवेट छात्रावास

में निवासरत हूँ। छात्रावास का पूर्ण पता

.....हैं। मेरे द्वारा सत्य कथन किया जाता है कि मुझे संस्था की तरफ से छात्रावास की सुविधा, स्थान रिक्त

न होने के कारण अनुपलब्ध है। एवं मेरे द्वारा पोस्ट मेट्रिक छात्रावास एवं अन्य शासकीय छात्रावास में आवेदन

करने के उपरांत भी निवास हेतु प्रवेश नहीं मिला है।

हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का नाम

.....

दिनांक :-

शपथ पत्र

(प्रारूप - 6)

(सागर में मकान न होने का पिता/अभिभावक द्वारा 50 रु. के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाये)

में आयु..... वर्ष पिता/पति.....

निवासी..... तहसील जिला.....

शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ :-

1. यह कि मेरा पुत्र/पुत्री जो कि उपरोक्त लिखित महाविद्यालय में कक्षा बी.ई./बी. टेक..... का नियमित विद्यार्थी हैं।
2. यह कि मेरे पास सागर जिला में कहीं भी स्थायी निवास भवन आदि नहीं है मेरा पुत्र/पुत्री किराये के मकान में रह कर पढ़ाई कर रहा/रही हैं।
3. यह कि मुझे मेरे पुत्र/पुत्री के शिक्षण संस्था में प्रस्तुत करने हेतु इस बावत कि मेरे पास सागर में स्थाई आवास नहीं है हेतु शपथपत्र की आवश्यकता है।

अतः शपथपत्र प्रस्तुत है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

में सत्यापन कर्ता पिता/पति..... आयु.....

..... वर्ष निवासी सत्यापित करता/करती हूँ। कि शपथ पत्र के पैरा क्रमांक 1 से

लगातार 3 तक के कथन मेरे स्वतः के ज्ञान से सत्य व सही है।

सागर दिनांक

सत्यापितकर्ता

किराया द्वीपक्षीय घोषणा पत्र**(किरायानामा)**

(केवल आदिवासी कल्याण विभाग की आवास सहायता योजना के लिए)

प्रोफाइल आईडी :	<input type="text"/>	संस्थान का नाम, जिला :	<input type="text"/>
किरायेदार (छात्र/छात्रा) नाम:	<input type="text"/>	पिता/पति का नाम:	<input type="text"/>
स्थायी पता:	<input type="text"/>	जिला:	<input type="text"/>
		पिन कोड:	<input type="text"/>
किराया पता का विवरण:		पिता/पति का नाम:	<input type="text"/>
मकान मालिक का नाम:	<input type="text"/>	वार्ड नं.:	<input type="text"/>
किराया का पता:	<input type="text"/>	स्थानीय निकाय : <input type="checkbox"/> ग्राम पंचायत <input type="checkbox"/> नगर पालिका (चुनें <input checked="" type="checkbox"/>) <input type="checkbox"/> नगर परिषद <input type="checkbox"/> नगर निगम	
स्थानीय निकाय का नाम:	<input type="text"/>	ब्लॉक का नाम:	<input type="text"/>
पिन कोड:	<input type="text"/>	जिला:	<input type="text"/>
मकान मालिक फोन नंबर:	<input type="text"/>	मकान मालिक पहचान पत्र चुनें: <input checked="" type="checkbox"/>	
पहचान पत्र संख्या:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> वोटर आई.डी. <input type="checkbox"/> राशन कार्ड <input type="checkbox"/> बैंक पास बुक <input type="checkbox"/> विजली बिल <input type="checkbox"/> पैन कार्ड <input type="checkbox"/> ड्राइवर लाइसेंस	
	(पति सलग्न करें)		

किराया विवरण:

किराया प्रारंभ दिनांक :/...../.....

किराया (प्रति माह):

शब्दों में किराया (प्रति माह):

मैं (दोनों पक्ष) घोषणा करता हूँ कि:

- घोषित किरायेदार वर्तमान में उपरोक्त किराये के पते पर रहता है, जो ऊपर घोषित मकान मालिक के स्वामित्व में है।
- मैंने (दोनों पक्ष) उपरोक्त पता, किराया, दिनांक तथा अन्य विवरणों को सत्यापित कर लिया है और उपरोक्त विवरण मान्य और सही हैं।
- उपरोक्त जानकारी को सभी देयता और जिम्मेदारी, मेरे (दोनों पक्ष) द्वारा वहन की जाएगी।

किरायेदार:-

हस्ताक्षर

नाम

मकान मालिक:-

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक :

स्थान :

महत्वपूर्ण निर्देश:

- यह किराये की घोषणा केवल वर्तमान किराये के पते के लिए मान्य है।
- कृपया मकान मालिक द्वारा सत्यापित मकान मालिक के घोषित पहचान पत्र का प्रति सलग्न करें।
- यह किराये का प्रमाण पत्र केवल आदिवासी कल्याण विभाग की आवास सहायता योजना के लिए लागू और मान्य है।
- केवल इस दस्तावेज की उपलब्धता, योजना की पात्रता के लिए किसी व्यक्ति को हकदार नहीं बनाती है। यह योजना के मानदंडों में से एक है।
- इस दस्तावेज की अधिकतम वैधता किराया प्रारंभ की तारीख से 11 महीने तक है।